न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 60/2019

1– चंचल देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

2– तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 23/2017 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम चंचल देवी निर्णय दिनांक 10.04.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 23/2017 बअनुवान पटवारी हल्का लाडनूं बनाम चंचल देवी में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रकबा 14–18 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 खड्डा में से रकबा 00.04 बीघा भूमि पर संवत 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा कारखाना बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.04 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.04 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 5/– अक्षरे पांच रूपये कायम किया गया।

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.4.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर बिना कोई गोर फरमाये ही तथा बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फेरियस्त दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा क्रयसूदा भूमि का इमारती पटटा तत्कालीन जागीरदार ठिकाना लाडनू द्वारा सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का फलावट 5850 वर्गगज का सरावगी गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम बेटा पोता सुखेव के नाम से जारी किया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प–6''42'' राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोइ ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त पटटाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षैत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि उपरोक्त प्रार्थी अपीलार्थी की कब्जासूदा भूमि को प्राथ्री अनपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रदिनांक 21.07.2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 198 पृष्ठ संख्या 118 क्रम संख्या 935 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 के जिल्द संख्या 180 के पृष्ठ संख्या 62 से 70 पर चस्पा किया गया है जो उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा फलावट 4270.50 वर्गफुट भूमि है जो विक्रेता खींवराज पुत्र पृथ्वीराज जाति माली निवासी लाडनूं से खरीदसूदा है। उक्त अधिकारिता के तहत ही अपीलार्थी एवं उसके पति रामचन्द्र जांगीड़ ने शामलाती रूप से भूमि क्रय कर उपरोक्त क्रयसुदा भूमि का विक्रय पत्र संख्या तहसील कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध विक्रय पत्र संख्या 935/2004 पर पंजीबद्ध करवाये गये विक्रय पत्र से खरीद कर आज दिन क्रय दिनांक से ही प्रार्थी अपीलार्थी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

साधिकार कब्जा अधिपत्य चला आ रहा होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(5) – यह है कि उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश से संबंधित भूमि जो प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदसूदा भूमि होकर आबादी की भूमि है जिस पर निर्माण बाबत दिनांक 10.3.2005 को स्थानीय निकाय नगरपालिका लाडनूं में तामीर स्वीकृति पेटे राशि जमा करवाकर गत विक्रेता निर्मला देवी पत्नी शुभकरण ने निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त की थी एवं आज दिन अपीलार्थी अपने व्यवसाय तथा आवास के रूप में उपरोक्त क्रयसूदा जायगा का निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग वर्षो से करता आ रहा है। जो उपरोक्त अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश पूर्णतया गलत होकर खारिज फरमाया जाने योगय होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(6)– यह है कि अपीलार्थी की उपरोक्त खरीदसूदा भूमि के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार भू.अ. की हैसियत से पत्र क्रमांक भू.अ.2011/596–637 दिनांक 14.03.2011 को एक नोटिस प्रेषित करवाया जाकर खसरा नम्बर 1639 राजकीय भूमि में काबिज होने के सबूत प्रस्तुत करने बाबत मांग की थी तब प्रार्थी द्वारा तहसीलदार भू.अ. लाडनूं के पत्र क्रमांक भू.अ.2011/596–637 दिनांक 14.03.2011 का एक प्रत्युतर दिनांक 24.03.2011 को प्रस्तुत किया गया था उपरोक्त प्रत्युतर में प्रार्थी अपीलार्थी ने स्वयं अकेले व एक अन्य भूखण्ड उपरोक्त क्रयसूदा भूमि से चिपता हुआ भूखण्ड जो कि विक्रय पत्र 09.07.2004 का स्वयं अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी चंचल देवी का दिनांक 09.07.2004 को संयुक्त रूप से खरीदसूदा था जो कुल क्षेत्रफल 4270.50 वर्गफुट का था का जवाब मय फरियस्त दस्तावेज नग 17 सहित दिनांक 24.03.2011 को प्रस्तुत कर दिया था। उपरोक्त जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलार्थी ने निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी अपीलार्थी एवं मेरी पत्नी चंचल देवी द्वारा खरीदसूदा भूमि तत्कालीन जीरदार ठिकाना लाडनूं के द्वारा जारी इमारती पटटा 01 विक्रम सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

फलावट 5850 वर्गगज का गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम के नाम बना हुआ है का भू भाग है जो प्रार्थी अपीलार्थी की उपरोक्त आबादी भूमि तत्कालीन जागीरदार द्वारा प्रदान आबादी पटटा का भू भाग होते हुये भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो आलोच्य आदेश खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(7) –यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 से सम्बन्धित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेकों पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलोखों की पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षक भी समय समय पर कियागया एवं उक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरूद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वैषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा मय फरियस्त दस्तावेज जबाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त जवाब एवं फेरियस्त दस्तावेजों पर बिना कोई गोर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(8) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032–1038 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

08.4.2017 के तहत गठित टीम द्वारा किये गये सींमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमांज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनूसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तिसयों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सींमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त क्रयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

{3}(10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षैत्र लाडनूं के अधीन ओने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र कमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चूंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लागों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरूद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

{3}(11) – यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(12) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ्रा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हे तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 714 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

{5}– अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनो प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनो प्रार्थना पत्रो का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।

{6} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही पेश की गयी है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.4.2019 को किया गया था। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील समय सीमा के बाद प्रस्तुत की तथा संलग्न धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

शुमार करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को आधार मानकर अपीलान्ट की अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुवे अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश दिये जाता हैं ।

{7}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यो को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 23/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनूं बनाम चंचल देवी में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी कठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से दिनांक 9.7.21 को प्राप्त वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 2936/1639 का व उससे बने हुए नये खसरों का मौका व रिकोर्ड अनुसार मौका देखा गया। पुराना खसरा नम्बर 1639 गै.मु. में से वर्तमान में तरमीम के बाद 10 खसरों में विभाजित ऑनलाईन तरमीम हो चुका है जिसमें 09 खसरे गै.मु. आबादी खातेदारों के नाम से दर्ज व नक्शा ऑनलाईन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अलग खसरों में बंट चुकी है। मौके पर चंचलदेवी व रामचन्द्र मौजूद उपस्थित मिले व उन्होने अपना कब्जा अतिक्रमी भूमि का साक्ष्य पेश किये व बताया गया कि उनकी भूमि का पुराना पटटा आबादी भूमि में से क्रय शुदा रजिस्ट्री भूमि बताया गया है व नगरपालिका द्वारा जमा हाउस टेक्स रसीद भी पेश की गई। पुराने राजस्व रेकार्ड के मुताबिक सेटलमेन्ट से पूर्व सं0 2012 से 2016 की खसरा गिरदावरी की प्रति पेश की गई है जो पुरानी खसरा गिरदावरी में 31.06 गै.मु. भूमि में से 13 बीधा 06 बिस्वा भूमि घनश्यामलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम महाजन के नाम से कृषि काश्त भूमि दर्ज है। उसी में से 1.07 बीधा भूमि का पुराना पटटा सन् 2008 को 5800 वर्ग गज में से आबादी भूमि में से 0.04 बिस्वा भूमि चंचलदेवी के नाम से क्रय की गई भूमि है जो आबादी भूमि के मध्य में स्थित हैं वर्तमान में आबादी खसरा नम्बर 3010/1639 गै.मु. आबादी खसरा नम्बर 2292/1639 व 3010/1639 गै.मु. आबादी के मध्य भूमि है। वर्तमान में सैटलमेन्ट के बाद सन 2021 से उक्त भूमि खसरा नम्बर 1639 रकबा 31.06 बीघा गै.मु. खडडा दर्ज हो चुका है। जो वर्तमान में रिकार्ड अनुसार रकबा 12.05 है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार चंचलदेवी की भूमि 0.04 बिस्वा गै.मु.खण्डा नया खसरा नम्बर 2936/1639 भूमि में से हिस्सा है।

तहसीलदार लाडनूं द्वारा जांच रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जॉच रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा अनुसार अपीलान्ट का भूखण्ड गै0मु0 आबादी भूमि ख0 न0 2292/1639 एवं 3010/1639 के बीच में दर्शित है साथ ही इस भूमि को खातेदार कृषक घनश्यामलाल पुत्र चुन्नीलाल महाजन के नाम कृषि काश्त भूमि में होना अंकित किया है इस प्रकार तहसीलदार लाडनूं द्वारा पेश मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जॉच की जानी आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जॉच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)